Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 18-12-2006
Participants : Vijay Krishna Shri ,Jaiswal Shri Shriprakash,Kumar Shri Shailendra,Singh Shri Prabhunath,Singh Shri Sitaram,Salim Shri Mohammad,Bhargav Shri Girdhari Lal,Mehta Shri Alok Kumar,Rawat Prof. Rasa Singh,Pathak Shri Brajesh,Yadav Shri Devendra Prasad,Jaiswal Shri Shriprakash

an>

Title: Shri Prabhunath Singh called the attention of the Minister of Home Affairs to the need to include Bhojpuri language in the 8th schedule to the Constitution.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान भोजपुरी भााा को अटम सूची में शामिल करने हेतु आकर्ति करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have enough trouble. Do not further add to it.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): The Government has been receiving demands for inclusion of various languages in the Eighth Schedule to the Constitution. ... (*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मंत्री जी हिंदी में अपनी बात कहें। मंत्री जी हिंदी जानते हैं।

MR. SPEAKER: You can only request him.

... (*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : स्टेटमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है। मैं बाकी सारी डिबेट में हिंदी में नहीं भोजपुरी में भाग लूंगा।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, turn over the page and speak in Hindi.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: That you cannot hear as yet.

... (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : विगत कई वर्षों से सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में विभिन्न भााओं को शामिल करने की मांगे प्राप्त होती रही हैं। इस समय आठवीं अनुसूची में 22 भाायें हैं। ये हैं : -

* Placed in Library. See No. LT 5630/2006

(1) असमी, (2) बंगाली, (3) बोडो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिंदी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली, (15) उड़िया, (16) पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगू, (22) उर्दू।

2. चूंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए तत्कालीन सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में अक्टूबर, 1996 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए निश्चित मानदंड तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय निकाय स्थापित किया गया।

3. समिति ने अप्रैल, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों की सिफारिश की :

1. राज्य की एक राजभाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है।

2. इसे राज्य विशेष के अधिसंख्य लोगों द्वारा बोला जाना चाहिए।

3. यह एक स्वतंत्र भाषा होनी चाहिए और यह आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा की बोली / उससे व्युत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

4. साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

5. इसका विकास के काफी उच्च स्तर का सुनिश्चित साहित्य होना चाहिए।

4. उपर्युक्त मानदंडों को आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों की जांच करने हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है।

5. तदनुसार, संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को शामिल करने पर विचार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अब उत्तर मिल गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, अभी कार्यवाही हुयी है।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही शुरू हो गयी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जब-जब हमने आपसे निवेदन किया कि हम भोजपुरी भाषा का सवाल उठाना चाहते हैं, चाहे वह शून्य काल के माध्यम से हो या ध्यानार्काण के माध्यम से हो, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि सदन में इसके ऊपर कोई पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने वर्ा 1999 में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इस सवाल को उठाया था, जिस समय केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार थी। लेकिन हमारी सरकार ने उसका उत्तर सकारात्मक नहीं दिया था, वह उत्तर नकारात्मक था। इसके बाद फिर ध्यानार्काण के माध्यम से वर्ा 2002 में में भी हमने इस सवाल को उठाया था, जिस समय गृह राज्य मंत्री आई. डी. स्वामी ने इसका जवाब दिया था, लेकिन कोई भी जवाब संतोषप्रद नहीं था। लेकिन इसके बाद सन् 2004 में आपकी इजाजत से हमने ध्यानार्काण के माध्यम से इस सवाल को उठाया था, तो माननीय गृह मंत्री श्री शिव राज पाटिल साहब ने इसका जवाब दिया था। जवाब के अंश में पूरा वही प्रारूप था, जो आई. डी. स्वामी का जवाब था। लेकिन नीचे के अंश में थोड़ा सा सुधार

था। जब कई माननीय सदस्यों ने, देवेन्द्र यादव जी ने, रघुनाथ झा जी ने, बासुदेव आचार्य जी ने, राम विलास पासवान जी जो यहां पर नहीं हैं, उन्होंने और इधर से सुशील कुमार मोदी जी सहित कई लोगों ने जब इस सवाल पर अपना पक्ष रखा, तब जो उन्होंने उत्तर दिया, उसे हम एक मिनट में पढ़कर आपको सुना देना चाहते हैं।[v12]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : हमने भी जीरो ऑवर में यह मुद्दा उठाया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप भोजपुरी भााा नहीं बोलते।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम बोलते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अच्छा ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा था कि "महोदय, पहले भी इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने खासकर बाहर से यह मामला हमारे सामने लाया गया था। इसलिए महापात्रा कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का गठन इसलिए हुआ ताकि पता लग सके कि क्या मापदंड है जिसके आधार पर किसी भााा को संविधान के आठवें शैडयूल में रखा जा सकता है। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, वह हमारे पास आयी है। उस रिपोर्ट में जो कहना है, वह करीब-करीब सरकार को मान्य होने जैसा है। बाकी रिपोर्ट हम मान्य नहीं कर रहे हैं। आपने इस संदर्भ में जो तथ्य सदन में ये हैं, वे सारे तथ्य कमेटी के मापदंड के माफिक ही हैं। इस संदर्भ में जो भी निर्णय करना है, उसे करने में सरकार को बड़ी आसानी होगी। आपने कहा कि मैं यहां एश्योरेंस दूं, तो एश्योरेंस देना ठीक नहीं होता। मगर जो कह रहा हूं, उसका अर्थ आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि उसमें कोई अड़चन है, ऐसा मुझे नहीं लगता।" उसके बाद जब माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही निर्णय ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, वर्ा 2004 में माननीय गृह मंत्री जी का इस सदन में कहना है कि हम जल्द ही निर्णय ले लेंगे। आज वर्ा 2006 का अंत होने जा रहा है। हम फिर आपकी अनुमति से इस सवाल को उठा रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसमें लिखा है कि निर्णय ले लिया है और उस पर काम चल रहा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। बीच में गृह मंत्री का एक बयान टीवी और अखबार में आया था। उसे हमने भी देखा था। उन्होंने कहा है कि हम उसे कैबिनेट में भेजने जा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने इस जवाब में कहीं नहीं कहा कि हमने कैबिनेट में इसे भेज दिया है या भेजने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि भोजपुरी भााा को अटम सूची में शामिल करने का बहुत मजबूत ग्राउंड है। इसका कारण यह है कि देश में जो भी लड़ाई लड़ी गयी, उसमें भोजपुरी मिट्टी का काफी महत्व है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने उसका महत्व माना है इसलिए तो आपको बोलने के लिए एलाऊ किया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। आप टोक देते हैं, तो हमारा पारा डाऊन हो जाता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें दस मिनट का समय दीजिए ताकि हम भाषा के महत्व के संदर्भ में सरकार और सदन को अवगत करा सकें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप तीन मिनट और बोल लीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह :जब भोजपुरी भाषा अटम सूची में शामिल हो जायेगी तब उसका बखान मैं भोजपुरी भाषा में कर दूंगा। अभी भोजपुरी भाषा बोलने पर प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगा इसलिए आप हिन्दी में ही सुनने का काम कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, हम इसके ग्राउंड के संबंध में कहना चाहते थे कि भोजपुरी मिट्टी का चम्पारण वह जिला है, जो बापू का कर्म भूमि रहा। अंग्रेजों की लड़ाई के समय भोजपुरी मिट्टी ने ही साथ दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ वर्ा 1857 में जो गदर हुआ था, वह भोजपुरी मिट्टी से ही उठा था, जो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इतना ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी भोजपुरी मिट्टी की ही देन है। भोजपुरी मिट्टी से ही वह आवाज उठी थी। इतनी महान विभूतियों की धरती, चाहे वह रणभूमि के रूप में रही है, कर्मभूमि के रूप में रही हो या जन्मभूमि के रूप में रही है, जिन लोगों की आबादी आज देश में 24 करोड़ की है, भारत में उनकी आबादी जहां 18 करोड़ की है वहीं दुनिया के 17 देशों में 6 करोड़ की है। अब यह भाषा कहीं ज्यादा और कहीं कम बोली जाती है। कम आबादी वाली भाषा को सरकार ने अटम सूची में मान्यता दे दी, लेकिन 24 करोड़ की आबादी जिस देश और दुनिया में हो, उस भाषा को अटम सूची में शामिल न करके भोजपुरी भाषा-भाषियों का अपमान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्ति करना चाहते हैं कि भारतेन्दु हरिश चंद्र जी ने कहा है --

" निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के शूल।।

अध्यक्ष महोदय, अगर संविधान की धारा 350 में भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देने की बात कही गयी है। यहां तक नहीं, राट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। कोई भी भाषा या उस भाषा को बोलने वाला समाज, सभ्यता और संस्कृति का दस्तावेज होता है। उस समाज का आईना होता है। भोजपुरी भाषा में भोजपुरी भाषी लोग इस उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ हैं। भोजपुरी भाषी में महाकवि कवि तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ड़ॉ नामवर सिंह, डॉ. केदार नाथ सिंह, राहुल सांकृत्यायन भारतेन्दु हरिश्चंद, रघुबीर नारायण, मेनैजर पाण्डे, महेन्द्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर, डॉ. विवेकी राय आदि सैंकड़ों अंतर्राट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं।

महोदय, सिखों के दसवें गुरू गोविन्द सिंह जी द्वारा रचित साहित्य और दर्शन भोजपुरी भाषा में है। विश्व विख्यात िवद्वान राहुल सांकृत्यायन जी की बहुत सी रचनाएं भोजपुरी भाषा में हैं। भोजपुरी भाषा में आज 150 से ज्यादा पत्र और पत्रिकाएं देश में छपती हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, विश्व के अनेक देशों में अलग-अलग प्रतिशत में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मैं उनके बारे में अलग-अलग जानकारी न देते हुए केवल उन देशों के नाम यहां बताना चाहता हूँ। भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग मारीशस, सूरीनाम, ट्रिनीडाड एण्ड टोबैगो, ब्रिटिश गुयाना, हालैण्ड, फिजी, जमैका, नेपाल, युगाण्डा, बैंकाक, केन्या, बर्मा, सिंगापुर, मालदीव, फिलीपीन्स, अमेरिका द्वीपीय भाग और दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। इन देशों में भोजपुरी भाषा बोलने वालों के प्रतिशत में अन्तर है, जहां सूरीनाम में 45 प्रतिशत लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, वहीं अमेरिका के द्वीपीय हिस्सों में 10 प्रतिशत लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इस तरह दुनिया के इन 17 देशों में छः करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा के लोगों को इस देश में आज तक सम्मान नहीं मिला है। इस देश में जिन-जिन राज्यों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, उनमें से बहुसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में

रहते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य और आपका इलाका अर्थात पश्चिम बंगाल तो भोजपुरी भााा का गढ़ है। श्री दासमुंशी जी इस समय यहां से चले गए हैं। उनके चुनाव जीतकर आने का अर्थ यही होता है कि भोजपुरी भााा के लोग उनका साथ देते हैं। जिस दिन भोजपुरी भााा बोलने वाले लोग उनका साथ छोड़ देंगे, उस दिन वे बंगाल में रहेंगे, इस सदन में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज उनकी सरकार है, आज इसके बारे में कोई स्पट आश्वासन आना चाहिए।... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am sure he would be very happy to know that you are so much concerned about him.

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, इस समय भोजपुरी का बोलबाला इतना ज्यादा है कि हिन्दी सिनेमा के अमिताभ बच्चन से लेकर जितने भी कलाकार हैं, वे सभी लोग भोजपुरी सिनेमा में शामिल हो रहे हैं। भोजपुरी भााा के गीतों की कैसेट्स जब बजती हैं तो दुनिया के दूसरे देशों में लोग, भले ही वे भोजपुरी भााा को नहीं जानते हैं, उसकी ताल और धुन पर नाचते हैं। आप ऐसा इंग्लैंड में भी देख सकते हैं। हमारे देश में भोजपुरी भााा बोलने वाले 18 करोड़ लोग हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, इस देश के 18 करोड़ लोगों और अन्य देशों में रहने वाले 6 करोड़ भोजपुरी भााा भाषी लोगों को सम्मान देते हुए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई टालमटोल या गोल-मोल उत्तर न देते हुए, साफ-साफ बताएं किस हालांकि इस सत्र में आप इस बिल को नहीं ला सकते हैं, लेकिन भोजपुरी और जो आपने राजस्थानी भााा के बारे में कहा है, क्या इन दोनों को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में बिल लाएंगे? इसका उत्तर अगर मंत्री जी 'हां' में देते हैं तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बोलेंगे, उनकी बारी आपने पर उत्तर देंगे।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Sir, we also want to associate ourselves with this matter.

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, मैंने भी इस विाय पर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : केवल नोटिस देने से होता है, यह आपको कहां से मालूम हुआ? इसके लिए मेरी परमीशन भी लेनी होती है। मैंने सिर्फ श्री शैलेन्द्र कुमार को बोलने की अनुमति दी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आपको केवल प्रश्न पूछने का मौका दिया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं आपको बहुत सम्मान करता हँ, मैं आपसे कभी नहीं लड़ता हूँ। मैं आपकी इजाजत से ही बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सम्मान करते हैं या नहीं, यह तब मालूम होगा जब आप केवल अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, हमारे साथी श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मैंने अभी शुक्रवार को ही इस मामले को शून्य प्रहर में उठाया था। मैं पिछले दो हफ्ते से मैं इस विाय को लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे शुक्रवार को शाम को 7.30 बजे यह मामला उठाने के लिए समय मिल सका।

महोदय, श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने जो बातें बताई हैं, मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। मैं स्वयं को उससे सम्बद्ध करते हुए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि फरवरी में बजट सत्र शुरू होने वाला है। उसमें ऐसी व्यवस्था कराएंगे जैसे अन्य

भााओं के इंटरप्रिटेशन की यहां व्यवस्था है, उसी प्रकार से भोजपुरी भाा को भी इस सदन में कोई सदस्य बोले तो हम उसका अनुवाद सुन सकें?

श्री आलोक कुमार मेहता : भोजपुरी भाा की विशालता के बारे में जितना भी कहा जाए, वह कम है। 24 करोड़ लोगों द्वारा यह भाा बोली जाती है।

अध्यक्ष महोदय: यह सब कहा जा चुका है। आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री आलोक कुमार मेहता : मैं अपने आपको पूर्व वक्ताओं से सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि भोजपुरी भाा को जल्द से जल्द आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रासा सिंह जी, आपकी भाा तो भोजपुरी नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मैं भोजपुरी के साथ राजस्थानी भाा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग करना चाहता हूं। चार-पांच करोड़ लोगों द्वारा राजस्थानी भाा बोली जाती है, जिसके व्याकरण और साहित्य को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। राजस्थान विधान सभा में भी चार साल पहले इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित हो चुका है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थानी भाा को भी आगामी बजट सत्र में संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने की निश्चित घोाणा मंत्री जी करेंगे? भोजपुरी के साथ राजस्थानी भाा भी सारे देश के अंदर बोली जाती है इसलिए मंत्री जी निश्चित उत्तर दें कि इसे कब तक कार्यरूप दे दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: राजस्थानी भाा बहुत मधुर भाा है, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : मैं अपने आपको माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी की बातों से सम्बद्ध करता हूं कि उन्होंने भोजपुरी के सवाल को बड़ी मजबूती से यहां उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद के आगामी बजट सत्र में भोजपुरी भाा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने सम्बन्धी विधेयक को लाकर वह पारित कराएंगे?

MR. SPEAKER: There are names of four other Members whose notices came much later, at.12.23 hours. I would mention the names of those hon. Members. They will be allowed to associate themselves, for the purpose of record, without making any statement. They are Md. Salim, Dr. Devendra Prasad Yadav, Shri Brajesh Pathak, Shri G.L. Bhargava and Shri Vijoy Krishna. They are associating themselves with the demand.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: भार्गव जी, आपका नाम मैंने बोल दिया है और वह रिकार्ड में आ गया है। । आप इतना अच्छा बोलते हैं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी ने ध्यानार्काण के माध्यम से जिस प्रश्न को उठाया है, मैंने अपने स्टेटमेंट में उन सारी बातों को स्पट कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लम्बे समय से भोजपुरी और राजस्थानी भाा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चली आ रही है। कई वर्ाों से यह मांग चल रही है, लेकिन पूरी नहीं हुई है। इसलिए माननीय सदस्यों का इस चिंता से ग्रसित होना समझ में आता है। कई बार यह मामला यहां उठाया गया है और कई सरकारों ने इस सम्बन्ध में संकेत तो दिया, लेकिन आश्वासन नहीं दिया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भोजपुरी और राजस्थानी हमारे देश की बड़ी समृद्ध भााएं हैं। ये भााएं करोड़ों लोगं द्वारा देश के कोने-कोने में बोली जाती हैं। केवल देश में ही नहीं, कई देशों में भी ये भााएं बोली जाती हैं। खासकर भोजपुरी भाा, जिसके बारे में प्रभुनाथ सिंह जी ने बताया कि करीब आधा दर्जन देशों में यह बोली जाती है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने इस सम्बन्ध में बयान दिया है,

उसे सुनने के बाद आपको किसी तरीके से 'किन्तु' या 'परन्तु' कहने की गुंजाइश नहीं है। जैसे आप भोजपुरी भााा क्षेत्र के हैं, वैसे ही आपका यह छोटा सा मंत्री भी भोजपुरी क्षेत्र का है। इलिए अब इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र में शायद इस सम्बन्ध में यह बिल पारित कराया जाएगा, जिसके साथ ही इन दोनों भााओं को मान्यता मिलेगी। जिसके लिए लम्बे समय से न केवल भोजपुरी क्षेत्र के लोग, बल्कि हमारे माननीय सदस्य भी चिंतित रहे हैं। [R13]

MR. SPEAKER: I hope Shri Prabhunath Singh will also arrange for interpreters.

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि अगले सत्र में वे इसे जरूर लायेंगे।